

## प्रेस नोट दिनांक-28.03.2023

**युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की हत्या की फर्जी घटना का खुलासा करते हुए 25000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी की हत्या की फर्जी घटना का खुलासा करते हुए दुष्कर्म के 25000 रूपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम गौहानी कलां निवासी एक युवक द्वारा थाना राजापुर में उसकी बहू को बहला फुसलाकर ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 179/2022 धारा 376/328/344/498/406 भादवि0 बनाम 1. अभियुक्त राजबहादुर पुत्र रामऔतार 2. उदयभान पुत्र रामऔतार निवासीगण कछिया पुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियुक्त राजबहादुर उपरोक्त घटना के दिनांक- 20.07.2022 से लगातार फरार चल रहा था जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालय से गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया गया था । अभियुक्त राजबहादुर उपरोक्त द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने परिजनों के माध्यम से थाना राजापुर में अपनी झूठी हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 233/2022 धारा 147/302/201 भादवि व 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट 01. पप्पू उर्फ राज बहादुर पुत्र माता बदल 2 शकुन्तला पत्नी स्व0 माता बदल नि0गण कछियापुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर 3. सुकुरुवा पुत्र चुनकाई 4. छोटा उर्फ हनुमान पुत्र सुकुरुवा निवासीगण गौहानी थाना राजापुर जिला चित्रकूट 5. कैलाश उर्फ कल्लू पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी अनीपुर थाना राजापुर जिला चित्रकूट 6.राजा पुत्र रामदेव निवासी अर्जुनपुर थाना राजापुर जिला चित्रकूट पंजीकृत कराया गया था । अभियुक्त राजबहादुर के पिता ने घटना में आरोप लगाया था कि उपरोक्त 06 लोगो ने मेरे बेटे को बुलाकर शराब पिलायी उसकी मारपीट कर हत्या कर दी तथा शव को गायब कर दिया । उपरोक्त के सम्बन्ध में मुकदमा लिखवाकर प्रकरण को अत्यन्त गम्भीर एवं संवेदनशील बना दिया गया था । इस प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर एवं चौकी प्रभारी गनीवा को गहनतापूर्वक जांचकर उपरोक्त मुकदमों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे । अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी गनीवा एवं उनकी टीम द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त की हत्या की फर्जी घटना का खुलासा करते हुए 25000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त राजबहादुर पुत्र रामऔतार निवासी कछिया पुरवा मजरा

हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया ।

उपरोक्त गम्भीर आरोप लगाकर अभियुक्त राजबहादुर की मृत्यु की फर्जी सूचना देने वाले शिकायतकर्ता व उसके पक्ष में बयान देने वाले साक्षियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त राजबहादुर उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 25000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह चौकी प्रभारी गनीवा
02. आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह
03. आरक्षी अशोक कुमार पाल
04. आरक्षी पवन यादव

(2). आज दिनांक 28.03.2023 को \*पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला\* के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान \*“मिशन शक्ति”\* के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(3). \*प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस\*

\*चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया\*

\*पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।\*

\* (i) उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर\* व उनकी टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजा उर्फ उर्गेश पुत्र रामसजीवन निवासी हनुमान गंज कस्बाव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

\* (ii). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर\* तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 46/023 धारा 363,366,376 भादवि0 व 04 पाक्सों एक्ट के वाँछित अभियुक्त राधेश्याम द्विवेदी पुत्र रमेशदत्त द्विवेदी निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\*

1.

उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर

2.

आरक्षी अंकित शुक्ला

\* (iii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री रजोल नागर\* व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 134/023 धारा 306 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त मेहेन्द्र कुमार चौबे पुत्र स्व0 कामता प्रसाद चौबे निवासी बगलई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\*

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री रजोल नागर

2. आरक्षी श्यामू

(4). आज दिनांक-28.03.2023 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में अभियोजन, कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था तथा एंटी भू माफिया की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

महोदय ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि पास्को एक्ट के मामलों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं तथा जो महिला संबंधी उत्पीड़न के मामले हैं उन पर भी प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि जिन मामलों में गवाह कोर्ट में उपस्थित शत प्रतिशत होना है उन्हें सुनिश्चित कराएं, अगले माह से थानावार समीक्षा की जाएगी अगर जिस थाना का गवाहों की उपस्थिति की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उन थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारियों थानाध्यक्षों से यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट के मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट थानों से मांगी जाती है उसको समय से दिया जाए, रामनवमी के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सभी व्यवस्थाएं करालें राम घाट परिक्रमा मार्ग सहित जो अन्य तीर्थ स्थलों पर रामनवमी के दिन दीपदान का कार्य कराया जाना है उसे भव्य तरीके से कराया जाए इसमें मजिस्ट्रेट व पुलिस बल भी तैनात किया जाए, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन से कहा कि जो विद्यालयों के बच्चे रामघाट व परिक्रमा मार्ग पर दीप जलाने जाएंगे उनके आने-जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ज उन्होंने उप जिलाधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा खनिज अधिकारी से कहा कि अभियान चलाकर अवैध खनन ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें नो एंटी के दौरान शहर में कोई भी ट्रक व वाहन न खड़ा रहे जो लोडिंग अनलोडिंग होना है वह सभी व्यापारी समय से कराएं इसके संबंध में व्यापारियों के साथ वार्ता भी की जाए, उप जिलाधिकारियों से कहा कि जो भूमि संबंधी मामले हैं उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एंटी भू माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए।

तत्पश्चात पास्को एक्ट के अंतर्गत 62 दिन के अंदर एससी एसटी पीड़िता के साथ हुई घटना पर 4 वर्ष की सजा कराने व जुर्माना कराने पर त्वरित कार्यवाही पुलिस की प्रभावी पैरवी व अभियोजन के कार्य को देखते हुए जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनंद को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री कुंवर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री राजबहादुर, मऊ श्री नवदीप शुक्ला,

राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री प्रमेश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय, राजापुर श्री शीतला प्रसाद पांडेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल, जिला खनिज अधिकारी श्री सुधाकर सिंह, सहायक संभागीय अधिकारी प्रशासन श्री प्रदीप कुमार, प्रवर्तन श्री विवेक शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर मिश्र सहित अन्य शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।

(5). आज दिनांक-28.03.2023 को \*पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु,\* क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।





